राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

निविदा सूचना

क्रमांक : एसके / एचसी / 2014–15 / 338 दिनांकः 15.11.2014

राजस्थान उच्च न्यायालय, उपयोगार्थ वर्ष–2015 के 1800 वॉल कलेण्डर, 5500 हाईकोर्ट कलेण्डर एवं 8500 सिविल कोर्ट कलेण्डर (नमूनानसार) की मुद्रण सहित खरीद हेतु दरों के सम्बन्ध में मोहरबन्द निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। (अनुमानित मूल्य रूपये 80,000 / – है)

निविदा प्रपत्र दिनॉक 17.11.2014 से 25.11.2014 तक कार्यालय समय में कार्यालय के मुख्य रोकड़पाल (Cashier) से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किये जा सकते है। निविदाऍ दिनांक 26.11.2014 को साँय 4 बजे तक प्राप्त की जायेगी। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त निविदाऍ दिनांक 26.11.2014 को साँय 4.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं/ प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। निविदा का विस्तृत विवरण एवं शर्ते विभाग की वेबसाइट http://www.hcraj.nic.in पर देखी जा सकेगी।

आज्ञा से,

15.11.2014

रजिस्ट्रार (प्रशासन),

कार्यालयः राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

:: निविदा एवं अनुबन्ध की शर्ते ::

पृष्ठ सख्या – 1

1. निविदा प्रपत्र मय विवरण कार्यालय समय में दिनांक 17.11.2014 से दिनांक 25.11.2014 तक कार्यालय समय में कार्यालय के मुख्य रोकड़पाल (Cashier) राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर कार्यालय से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किए जा सकते है।

2. मोहरबंद निविदाऍं पूर्ण रूप से भरी जाकर दिनांक 26.11.2014 को साँय 4 बजे तक कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए। निविदाऍं पूर्ण रूप से भरी होनी चाहिये। प्राप्त निविदाऍं दिनांक 26.11.2014 को साँय 4.30 बजे उपस्थित निविदाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी । विलम्ब से प्राप्त निविदाऍं स्वीकार्य नहीं होगी ।

3. निविदादाता को अनुमानित व्यय राशि की 2 प्रतिशत राशि कार्यालय में अमानत राशि के रूप में नगद रूप से अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करवानी होगी। डिमाण्ड ड्राफ्ट **'रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर'** के नाम से देय होगा। निविदा प्रपत्र के साथ नगद की रसीद या डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप से संलग्न करना होगा तथा लिफाफे के बाए कोने में निविदादाता का नाम, पता व फोन नम्बर लिखे होने चाहिये।

4. निविदा एवं प्रस्तुत दरें सभी करों सहित शब्दों एव अंकों में स्पष्ट रूप में लिख कर अंकित करनी होगी। निविदादातां को निविदा प्रपत्र व संलग्न सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने होगें तथा कॉट–छॉट होने पर अपने लघु हस्ताक्षर करके दरे पृथक से स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत दरों में सामान को निर्दिष्ट स्थान/भण्डारगृह पर पहुँचाने का खर्चा (Handling Charges) भी सम्मिलित होगा।

5. राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के उपयोगार्थ वॉल कलेण्डर, हाईकोर्ट कलेण्डर एवं सिविल कोर्ट कलेण्डर वर्ष 2015 का मुद्रण, कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवायें गये मेन्युस्क्रिप्ट के नमूनानुसार एवॅ वॉंछित क्वालिटी के पेपर पर होना चाहिये। वॉल कलेण्डर, हाईकोर्ट कलेण्डर एवं सिविल कोर्ट कलेण्डर– 2015 का नमूनानुसार दोनों ओर मुद्रण करना होगा।

6. किसी भी ले–आउट और डिजाइन को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। कलेण्डर के मुद्रण से पूर्व ले–आउट और डिजाइन राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर कार्यालय द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

7. कलेण्डरं का वांछितानुसार मुद्रण कार्य कर सात दिवस के भीतर कार्यालय में सप्लाई करनी आवश्यक होगी।

8. किसी भी माल/वस्तुओं की सप्लाई आदेश प्राप्ति के अगले कार्य दिवस तक प्राप्त सप्लाई आदेश की कुल कीमत की 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में कार्यालय में जमा करवानी होगी। जमा अमानत राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि में किया जा सकेगा।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय मोहर

क्रमशः पृष्ठ सख्या –2

कार्यालय: राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

:: निविदा एवं अनुबन्ध की शर्ते ::

9. अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा । सन्तोषप्रद सप्लाई के पश्चात ही भुगतान देय होगा । सप्लाई आदेशानुसार वर्णित समय सीमा में वांछित गुणवत्ता/निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप एक साथ करनी होगी । माल आदेशानुसार नहीं होने पर निविदादाता के खर्चे पर लौटाया जा सकेगा तथा ऐसा सामान बाजार से मुदण सहित क्रय कर अंतर की राशि/ अधिक व्यय सम्बन्धित निविदादाता से वसूल किया जावेगा।

10. किसी भी निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार कार्यालय को होगा । विभाग न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगा। निविदा खोले जाने एवं स्वीकार किये जाने की तिथियों में परिवर्तन का अधिकार अद्योहस्ताक्षकर्ता में निहित होगा ।

11. निदेशक, इण्डस्ट्रीज एवं सप्लाई, राजस्थान के अर्न्तगत पंजीकृत फर्म, पंजीकृत वस्तुओ की निविदा दे सकती है । उनको धरोहर राशि जमा कराने की छूट का लाभ नियमानुसार देय होगा । किसी अन्य सप्लाई के लिए जमा अमानत राशि का समायोजन इस निविदा पेटे नहीं किया जावेगा।

12. उक्त कार्य सम्पादन/आपूर्ति में यदि किसी भी प्रकार की हानि होती है तो इसके लिये कार्यालय किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं करेगा न हीं कोई जिम्मेवारी इस कार्यालय की होगी।

13. सामग्री सप्लाई ओदश में वर्णित समय अवधि (कार्यालय द्वारा निर्धारित समय) के भीतर ही करनी होगीं। विलम्ब से सप्लाई पर नियमानुसार शास्ति लगाई जायेगी।

14. उक्त निविदा में सफल निविदादाता अपने कार्य को स्वयं के स्तर पर ही सम्पादित करेगा। स्वीकृत कार्य को किसी अन्य एजेन्सी या फर्म के माध्यम से नहीं करवायेगा।

15. सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी ।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय मोहर